1598

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – उनि/सशि/निशु/पापु/शाला दर्पण/2020–21/183 दिनांक – 06/07/2020

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

विषय :– शैक्षिक सत्र 2020–21 में ब्लॉक नोडल विद्यालय से पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालय तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक सत्र 2020–21 ब्लॉक नोडल विद्यालय से पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालय को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण दिनांक 08.07.2020 से 15.07.2020 के मध्य किया जाना है। पाठ्य पुस्तकों के सुव्यवस्थित एवं चरणबद्ध वितरण हेतु अग्रांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. समस्त ब्लॉक नोडल विद्यालय राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला वितरण केन्द्र से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करते ही शाला दर्पण पोर्टल पर स्टॉक प्रविष्टियों का सत्यापन चालान से करेंगे। पोर्टल पर प्रविष्टियों में अन्तर होने की स्थिति में संबंधित जिला डिपो से उसी दिवस ठीक करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. जिला डिपो से प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को स्टॉक रजिस्टर व शाला दर्पण पर इन्द्राज प्रविष्टयों के मिलान होने के उपरांत ही अधीनस्थ पीईईओ/शहरी नोडल को वितरण कार्य आरम्भ किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. ब्लॉक नोडल विद्यालय से वाहन पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की लोडिंग करवाने से एक दिन पूर्व आगामी दिवस के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के स्टॉक पीईईओ वार गणना करके पृथक रखेंगे। इस कार्य में सहयोग के लिए पीईईओ/ शहरी विद्यालय अपना अधिकृत प्रतिनिधि भेजेंगे।
4. ब्लॉक नोडल विद्यालय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की लोडिंग के समय पीईईओ स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्टॉक रजिस्टर व नोडल द्वारा की गई ऑनलाइन मांग की प्रति के साथ उपस्थित होंगे तथा अपने केन्द्र की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की गणना कर वाहन में लोडिंग करवाएंगे।
5. पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालय प्राप्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें स्टॉक रजिस्टर व शाला दर्पण पर इन्द्राज प्रविष्टयों के मिलान होने के उपरांत अपने विद्यालय में सुरक्षित स्थान पर भंडारित करेंगें। पोर्टल पर प्रविष्टियों में अन्तर होने की स्थिति में संबंधित ब्लॉक नोडल से उसी दिवस ठीक करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. कक्षा 1 से 5 के लिए बस्ते का बोझ कम करने की योजना अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तके विषयवार न होकर त्रैमासिक पाठ्य पुस्तके (प्रत्येक कक्षा के 03 भाग) में सभी विषय समाहित किये गये है। जिनका वितरण पूर्व में शाला दर्पण पर संबंधित कक्षा की विषयवार मांग में से अधिकतम विषय मांग के अनुरूप किया जाना है। गत शैक्षिक सत्र की विषयवार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की विषय सामग्री शैक्षिक सत्र 2020–21 की त्रैमासिक पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप ही है, इसलिए विद्यालय मे कक्षा 01 से 05 के लिए गत शैक्षिक सत्र की नई शेष अवितरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कक्षा 04 से 05 में विद्यार्थियों के अध्ययन उपरान्त लौटकर आई पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उपयोग भी किया जाना है। जिन विद्यार्थियों को विषयवार पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है। उन्हें त्रैमासिक पाठ्य पुस्तिका नहीं दी जाएगी।
7. जिला नोडल केन्द्र अथवा अन्य नोडल पर उपलब्ध गत सत्र के स्टॉक आधिक्य की स्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का स्थानान्तरण पूर्व की भाति ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल से नोडल से नोडल ही किया जाना है।
8. ब्लॉक स्तर पर ACBEO-II अधीनस्थ ब्लॉक नोडल एवं PEEO विद्यालय से समन्वय कर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण कार्य का प्रबोधन करेंगे तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की प्रगति/कठिनाईयों से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अवगत करवाएंगे।
9. ब्लॉक नोडल विद्यालय से मैप्ड नोडल विद्यालय (पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालय) को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जारी (issue) करते समय चालान जारी किया जाना है। मॉड्यूल में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वजन अंकित है। तदनुसार ही ट्रांसपॉर्टर को भुगतान किया जाए।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, सचिव राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर।
2. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत।
4. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

CS Scanned with CamScanner